

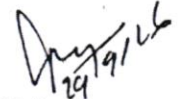
बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सूचना

राज्य में वर्ष 2026 में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (Served/Unserved Block) एवं पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के Shifting/Addition of New Trade /Extention of Seat के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के निमित्त DGT, भारत सरकार द्वारा नये ITI Affiliation Portal दिनांक-01.10.2026 से दिनांक-31.10.2026 तक खोले जाने के संबंध में DGT के पत्रांक- DGT-Aff011(51)/2/2026-O/o DIR (TC) -77940 दिनांक-22.09.2026 द्वारा सूचित किया गया है।

अतएव वर्ष 2026 में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (Served/Unserved Block) एवं पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के Shifting/Addition of New Trade /Extention of Seat के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि विभागीय आदेश संख्या-1937 दिनांक-04.06.2021 द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुरूप राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त ITI Affiliation Portal पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए ऑफलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन, भुगतान संबंधी साक्ष्य, संलग्न विहित प्रपत्र के अनुरूप डाटा तथा वांछित अभिलेख सहित दिनांक-03.11.2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पत्र एवं संबंधित विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html> से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इस संबंध में कोई भी सूचना युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के समेकित सूचना-सह-समाधान केन्द्र के टोल फ्री नम्बर-18002965656 से प्राप्त की जा सकती है।



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी0-03-नामां0 (प्रशि0)-06/2026 .19.02/ पटना, दिनांक-22/09/26/
प्रतिलिपि:-सभी संस्थानों के प्राचार्य/निदेशक/सचिव/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी औ0 प्र0 संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

विहित प्रपत्र

1. ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी का नाम :-

पता :-

मोबाईल नम्बर :-

ईमेल आईडी :-

2. आवेदन का प्रकार- नया/स्थल परिवर्तन/संबंधन वृद्धि :-

नया आईटीआई होने की स्थिति में

आईटीआई का नाम :-

MSTI :- हाँ/ना

पता :-

ब्लॉक :-

जिला :-

भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-

क्षेत्रफल (SQM) :-

व्यवसाय एवं यूनिट की विवरणी जिसके लिए आवेदन किया गया है :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

पूर्व से संचालित आईटीआई

3. आईटीआई का नाम :-

MIS CODE :-

पता :-

ब्लॉक :-

जिला :-

भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-

क्षेत्रफल (SQM) :-

वर्तमान में संचालित व्यवसाय एवं यूनिट की विवरणी :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

पूर्व से संचालित आईटीआई के स्थल परिवर्तन की स्थिति में

4. नये स्थल का पता :-

ब्लॉक :-

जिला :-

भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-

क्षेत्रफल (SQM) :-

पूर्व से संचालित आईटीआई के संबंधन वृद्धि की स्थिति में

5. व्यवसाय एव यूनिट की विवरणी जिसके लिए आवेदन किया गया है :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

निदेशालय पत्रांक-1937 दिनांक-04.06.2021 के अनुसार जमा किये
गये शुल्क की विवरणी

6.

क्र० सं०	शुल्क संरचना	भुगतान की गयी राशि	विवरण

(हस्ताक्षर)

नोट :- उपरोक्त प्रपत्र में विवरणी अंकित करते हुए आवेदन के साथ
निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।

1. ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी का निबंधन से संबंधित अभिलेख।
2. नया आईटीआई स्थापित करने/पूर्व से स्थापित आईटीआई का स्थल परिवर्तन/संबंधन वृद्धि हेतु Resolution.
3. भूमि संबंधी अभिलेख।
4. किराये की भूमि होने के स्थिति में एकरारनामा।
5. Affiliation Order (In Case of Old ITI).
6. Land Possession Certificate
7. जमीन का अद्यतन रसीद
8. निदेशालय पत्रांक-1937 दिनांक-04.06.2021 के अनुसार जमा किये गये शुल्क का साक्ष्य।

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं० संख्या टी 2/संबंधन-08/2018-.....1937 पटना, दिनांक- 04 - 06 -2021.

आदेश

बिहार राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से संबंधन प्राप्त करने निमित्त निम्नलिखित प्रक्रियात्मक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

शुल्क संरचना	चार ट्रेडों तक या 12 यूनिट तक	12 से अधिक यूनिट के लिए
आवेदन शुल्क	₹ 12000.00*	₹ 15000.00*
चरण-II के लिए साइट मूल्यांकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00* + ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
चरण-III के लिए साइट मूल्यांकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00* + ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
पुनर्वलोकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00* + ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
नवीकरण शुल्क	₹ 40000.00*	₹ 40000.00* + ₹ 5000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
पुनर्संबद्धता शुल्क	₹ 40000.00*	₹ 40000.00* + ₹ 5000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त

*GST as applicable on date of submission of application will be charged in addition to the above fee.

2. उपरोक्त सभी प्रकार का भुगतान Online Payment Gateway System/Demand Draft के माध्यम से Bihar State Council for Vocational TRG के खाता में जमा किया जाएगा। जिसका खाता संख्या 40191772582, बैंक का नाम-State Bank of India, IFSC Code- SBIN0018815, Branch- Niyojan Bhawan Branch, Branch Address- State Bank of India, Niyojan Bhawan, Bailey Road, Patna है।

3. खाते में संचित राशि का व्यय SCVT Society के निर्णय के अनुरूप किया जाएगा।

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


04/06/2021
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं० सं० संख्या टी 2/संबंधन-08/2018-.....1937 पटना, दिनांक- 04 - 06 -2021.

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ महानिदेशक (प्रशिक्षण), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भवन, बी०-२, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 (E-mail- dirgen-msde@gov.in)/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


04/06/2021
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

162

Through E-Mail
E-file No.: 77940

DGT-Aff011(51)/2/2026-O/o DIR (TC)

Government of India/भारत सरकार

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

Directorate General of Training/प्रशिक्षण महानिदेशालय

Kaushal Bhawan, New Moti Bagh
Chanakyapuri, New Delhi- 110023

Dated: 22.09.2026

To,

1. All State/UT Directorates dealing with Craftsmen Training
2. All Regional Directorates of Skill Development and Entrepreneurship (RDSDEs)

Subject: Opening of New ITI Affiliation Portal for submission of Affiliation – reg

Sir/Madam,

The Directorate General of Training (DGT), under the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), has developed and operationalized the new ITI Affiliation Portal in accordance with the Affiliation Norms–2025 for online submission and processing of applications relating to accreditation and affiliation of new and existing ITIs.

2. In this regard, the new ITI Affiliation Portal has already been operationalized for submission and processing of applications under various categories in accordance with the provisions of the Affiliation Norms–2025.

3. The Portal is now being further opened/operationalized w.e.f. 01.10.2026 for a period of one month, i.e. up to 31.10.2026, for submission of applications under the following categories:

(i) Establishment of New ITIs/MSTIs; and

(ii) Addition of New Trades/Units in Existing ITIs.

4. Further, as per the provisions of the Affiliation Norms–2025, the ITI Affiliation Portal shall remain available throughout the year for submission of applications relating to Change of Location/Shifting of ITI, DST, and Self-Surrender/Closure of ITI, as applicable.

5. The applications may be submitted online through the ITI Affiliation Portal at the following link:
<https://affiliation-dgt.skillindiadigital.gov.in/>

6. All applications submitted through the Portal shall be processed in accordance with the provisions of the Affiliation Norms–2025

7. The applicants and the concerned State/UT Directorates shall ensure strict adherence to the "Timelines for Processing Accreditation and Affiliation Applications" prescribed under Annexure–2 of the Affiliation Norms–2025.

161

8. All State/UT Directorates and RDSDEs are requested to give **wide publicity/circulation** to the above information among all Government and Private ITIs and other concerned stakeholders and advise the eligible ITIs to submit their applications through the designated Portal within the prescribed timeline.

9. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Digitally signed by KETANKUMAR PRAVINBHAI PATEL
Date: 2026.09.22 16:30:27 +05'30'

Director (TC)
Directorate General of Training

Copy along with enclosures for information to:

1. Senior PPS to Secretary, MSDE.
2. Senior PPS to Director General (Training), DGT, New Delhi.
3. PPS to DDG (Affiliation).
4. Director (IT) with a request to publish on the official website of DGT.

Timelines for Processing Accreditation and Affiliation Applications (Reference Affiliation Norms 2025, Annexure 2)

1. The Affiliation Portal will be opened annually, usually in October, to invite applications for accreditation and affiliation of new and existing ITIs.
2. Applications must be processed on the principle of first-come, first-served. The sequence of the desktop assessment (DA) will be determined by date of submission of application at Stage-II, and similarly, the sequence of inspection batch creation will be determined, based on the order of the date of DA completion.
3. Applications inspected till the end of May will be discussed in the SCAA meeting schedule for the ensuing academic session. As the affiliation process is continuous process, the applications for which inspections were conducted beyond the specified timelines as defined in academic calendar, will be considered in the subsequent academic session.
4. Compliance reports submitted by the end of June (Year) will be considered for the ensuing academic session.
5. ITIs that are granted affiliation by the end of July (Year) will be allowed to admit trainees in the ensuing academic session.